

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 445 -औस / पाकालि / 2013-11(6)ए०एस० / 2006

दिनांक: २२ फरवरी, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवम् कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-Personnel पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या-4452-औस-17 / पाकालि/2009, दिनांक 09.12.2002 सपठित आदेश संख्या-3593-औस-17 / पाकालि/2003, दिनांक 21.07.2003 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण), इलाहाबाद के पत्र संख्या-942-मु030(वि०)/इ०क्ष०/एम-९, दिनांक 21.06.2012 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या एवं संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में “ज्योति इन्सटीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड रिहेबीलेशन साइंस (जीमार्स) विकलांग केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद” को एतद्वारा दिनांक 31.03.2014 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088-एन०जी०-२/एस०ई०बी०(चार)२९-एन०जी०-२/७८, दिनांक 24.05.78 में निहित प्राविधानों एवम् शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा।

1- अस्पताल को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।

2- चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि “उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 31.03.2014 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय”।

3- चिकित्सालय को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और प्रति तीन माह में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन के मुख्य चिकित्साधिकारी/कार्मिक अधिकारी, शक्ति भवन को भेजनी होगी :-

(क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवम् लिंग।

(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।

(ग) अस्पताल में भर्ती होने एवम् डिस्चार्ज होने की तिथि।

(घ) कार्मिक का वेतनमान।

(उ) राग का नाम (डाइग्नासिस)।

(घ) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

4- कारपोरेशन को गह वचन पत्र देना होगा कि वह कारपोरेशन की बेब साइट www.uppcl.org / Personnel पर दर्शायी गयी दरों पर लपचार करने हेतु सहमत है।

5- यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन के मद हेतु करो ५०/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।

- 6— निर्धारित / अनुमोदित दरों से विचलित होने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या: 445 –(1) औस/पाकालि/2013–तददिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1— अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- 2— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- ✓ 3— निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेटर प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4— निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन)/(कार्य एवं परियोजना)/(परिचालन)/(वाणिज्य), उ0प्र0 पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
- 5— प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 6— अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति—प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिं।
- 7— मुख्य अभियन्ता (जल—विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8— समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, को उपलब्ध करा दें।
- 9— समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10— समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वितन एवम् लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11— समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव—प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12— अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org- Personnel पर लोड करने हेतु।
- 13— महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 14— प्रबन्धक, ज्योति इन्सटीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड रिहेबीलेशन साइंस (जीमार्स) विकलांग केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद।
- 15— सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 16— कट फाइल।

10/11/2
 (कौशल चन्द्र सक्सना)
 उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)